रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 545] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 1977/पौष 2, 1899

No. 545] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 1977/PAUSA 2, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd December 1977

S. O. 852 (E)./18AA/IDRA/77.—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary evidence in its possession that the undertaking of Messrs National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been closed for a period of not less than three months and that such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry, namely, Rubber Goods industry and that the financial condition of the company owning the said industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of the said undertaking are such that it is possible to restart the undertaking and such restarting is necessary in the interests of the general public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby authorises a body of persons (hereinafter referred to as the 'Authorised Person') consisting of—

Chairman

1. Shri J. I. Mehta,

Members

2. Shri Subir Sen,
3 Shri P. V. Subba Rao,
4 Shri S Bhattacharyya,
5. Shri S. D Ganguli,

to take over the management of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely:—

(1) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government,

(2) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, and

(3) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person, earlier, if it considers it necessary to do so

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette

[No F. 2/44/77-CUC]

G. V RAMAKRISHNA, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1977

का० आ० 852 (अ)/18कक/आई डी आर ए/77.—केन्द्रीय सरकार को समाधान हो गया है कि उसके पास जो दस्तावेजी साक्ष्य है उससे उसका समाधान हो गया है कि मैसर्स नैशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) कम से कम तीन मास से बन्द कर दिया गया है और उसे बन्द करने से अनुसूचित उद्योग अर्थात रबड के सामान के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उस कम्पनी की, जो उक्त औद्योगिक उपक्रम की स्वामी है, वित्तीय स्थिति तथा उक्त उपक्रम के संयंत्र और मशीनरी की दशा ऐसी है कि उपक्रम को फिर से चालू करना संभव है और सामान्य जनता के हित में इस प्रकार उसका फिर से चालू किया जाना आवश्यक है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यक्तियो के एक निकाय को (जिसे इसमे इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) और जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

1. श्री जे० आई० मेहता	अध्यक्ष
2. श्री सुबीर सेन	सदस्य
3. श्री पी० वी० सुब्बाराव	सदस्य
4. श्री एस० भट्टाचार्य	सदस्य
5. श्री एस० डी० गागुली	सदस्य

उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध को निनलिखित निबन्धनों और शर्तों पर, अपने हाथ में ले लेने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा;

(2) प्राधिकृत व्यक्ति राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक के लिए पद धारण करेगा;

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे तो, इससे पूर्व भी प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त कर सकती है ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 2(44)/77 सी० यू० सी०]

जी० वी० रामकृष्ण, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1977